



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 15]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 अप्रैल 2025—चैत्र 21, शक 1947

भाग ४

विषय-सूची

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद् के अधिनियम. |
| (ग) (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

Jabalpur, the 3rd April 2025

CORRIGENDUM

No.C-2831.—Amendments in the High Court of Madhya Pradesh Rules, 2008, published in the Madhya Pradesh Gazette, dated 28th March 2025 [Part-4(ग)] are hereby rescinded.

DHARMINDER SINGH, Registrar General.